

## वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के लिए कार्य योजना

वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा नीति के अनुपालना में निम्न मदों पर कार्य योजना का प्रस्ताव किया जाता है: -

क्र. सं.	वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्यक्रम के मद	अनुपालना की स्थिति	अपेक्षित कार्रवाई
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 प्रकार के दस्तावेज़ द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) रूप में जारी करना।	वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं।	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों की आवधिक जांच की जाती है।
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।	वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जा रहा है।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 की अनुपालना की नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है।
3.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाए।	यह कार्यालय 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित है।	कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तथा 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित है।
4.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीनता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूप और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी में प्रवीनता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूप और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) का अनुपालन किया जा रहा है।
5.	कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले कोड़, मैनुअल तथा मानक मसौदों का अनुवाद।	कार्यालय द्वारा मुख्यालय को भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत कार्यालय में 09 मैनुअल तथा 12 मानक मसौदे तथा 24 फार्म्स द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।	कार्यालय में उपलब्ध मैनुअल, मानक मसौदे तथा फार्म्स द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
6.	कार्यालयों/उपक्रमों /बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो।	कार्यालय में वर्तमान केवल दो अनुवादक जिसमें 01 हिंदी अधिकारी तथा 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कार्यरत है।	कार्यालय में 01 हिंदी अधिकारी 01 वरिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा 03 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हैं। जिनमें से 01 हिंदी अधिकारी तथा 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कार्यरत है।
7.	अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाए।	वर्ष 2022-2023 के दौरान कार्यालय में होने वाली सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में बनाए गए हैं।	कार्यालय में होने वाली सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में बनाए जाते हैं।